"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 मार्च 2002—फाल्गुन 16, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-21-2002/वा. कर/पांच (26).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के पक्ष में वर्ष 2001-2002 में निष्पादित किये जाने वाले 3 करोड़ के ऋण से संबंधित बंधक विलेख पर उक्त अधिनियम की सारणी 1-क के अनुच्छेद 40 के अधीन प्रभार्य मुद्रांक शुल्क 4% से घटाकर 1% करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-21-2002/वा. कर/पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-21-2002/वा. कर./पांच (26), दिनांक 7-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-21-2002/CT/V(26).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby reduces the Stamp duty chargeable under Article 40 of the Schedule 1-A of the said Act from 4% to 1% on the floating charge deeds/mortagage deeds relating to loan of 3 crores, to be executed in the year 2001-2002 by the Chhattisgarh State Co-operative Housing Federation Limited, Raipur in favour of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-21/2002/वा.कर/पांच (27).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 816-635,बी.एस.आर., दिनांक 24-2-1975 में पुन: संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारिणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बंधन के 45 के बाद निम्न क्रमांक को जोड़ा जाता है :—

46. राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के पक्ष में वर्ष 2001-2002 में निष्पादित किये जाने वाले 3 करोड़ के ऋण से संबंधित बंधक विलेख पर उक्त अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद-1 के अधीन निर्दिष्ट दर का आधा करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-21-2002/वा.कर/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-21-2002/वा.कर/पांच (27), दिनांक 7-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-21-2002/CT/V(27).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment to the notification No. 816-635-VSR dated 24-2-1975 and publishes the same as required by Section 79 of the said Act namely :—

AMENDMENT

In the said notification in the table of fegistration fees, under the sub-heading exemption and reduction after item No. 45, the following item shall be added, namely :—

46. State Government reduces to one half of the rates specified in Article 1 of the Table of Registration fee under the said Act, mortgage deed to be executed by Chhattisgarh State Co-operative Housing Federation Ltd., Raipur in favour of Life Insurance Corporation of Inida in connection with the grant of loan of Rupees 3 Crores.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.